संख्या-7/305/38-6-16-04 बजट(एनआरएलएम)/2014

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक- 22 मार्च, 2016**

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त के सापेक्ष अनुदान सं0-13(सामान्य मद) में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-501/372/आजीविका/लेखा/2015-16, दि0-26.02.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत (एनआरएलएम एवं एनआरएलपी) वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से केन्द्रांश के रूप में 75 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है। भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-12036/01/2015-आरएल(एनआरएलएम-8ए), दि0-06.08.2015 तथा आदेश सं0-12036/01/2015-आरएल(एनआरएलपी-11), दि0-06.08.2015 द्वारा सामान्य मद(अनुदान संख्या-13) में अवमुक्त की गई केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष-2015-16 में एनआरएलएम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सामान्य मद अनुदान सं0-13 में की गई बजट व्यवस्था में प्रावधानित धनराशि रू0 34,57,50,000.00 के सापेक्ष कुल केन्द्रांश में से रू0-25,93,12,500.00 (एनआरएलएम एवं एनआरएलपी) तथा इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(एनआरएलएम एवं एनआरएलपी) रू0-8,64,37,,500.00 को सम्मिलित करते हुए रू0-34,57,50,000.00 (रूपये चौतीस करोड सत्तावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-1048/38-6-15-04बजट (एनआरएलएम)/2014, दि0-08.09.2015 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप दि0-21.09.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- भारत सरकार द्वारा सामान्य मद अनुदान सं0-13 में अवमुक्त उक्त प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रू0-1,89,79,500.00 तथा भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2015-आरएल-(एनआरएलपी -23) दि0-31.12.2015 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त रू0-2,40,31,000.00 एवं पत्रांक-जे0-12036/01/2015-आरएल(एनआरएलपी-30), दि0-23.02.2016 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की तृतीय किश्त की धनराशि रू0 9,95,00,000.00 कुल केन्द्रांश की धनराशि रू0-14,25,10,500.00 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा किये गये परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न 60:40 के अनुसार राज्यांश की अवशेष धनराशि रू0-18,14,44,500.00 को शामिल करते हुए कुल धनराशि रू0-32,39,55,000.00(रू0-बत्तीस करोड उन्तालीस लाख पचपन हजार मात्र) (के0-14,25,10,500+ रा0-18,14,44,500) को अनुदान सं0-13 में डीआरडीए प्रशासन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बचत की धनराशि रू0 32,39,55,000.00 को वित्त विभाग के संलग्न आर.ई. सं0-594/10-2016, दि0-21.03.2016 द्वारा पुनर्विनियोगित की गई धनराशि से आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय एनआरएलएम/एनआरएलपी के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2016 को समर्पित कर दी जाएगी।

(3) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि योजनान्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयन्ती ग्राम

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के.75/रा.25-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा तथा इसी अनुदान की बचतों के पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-308/दस-ई-2, दि0-22 मार्च, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उक्तानुसार।

भवदीया,

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या-7/305(1)/38-6-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ
5- मुख्य लेखा परीक्षाअधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in